न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सि
आ

अपील संख्या 206/2022
बजरंग पुत्र स्व0 मनीराम, उम्र 67 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी बख्तावरपुरा, तहसील
जिला झुंझुनूं।

—अ

बनाम

1. तहसीलदार चिडावा जरिये लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार।
2. हरि सिह पुत्र स्व0 श्रवन, उम्र 65 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी बख्तावरपुरा, चिडावा, जिला झुंझुनूं।
3. निरंजन पुत्र स्व0 श्रवन, उम्र 58 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी बख्तावरपुरा, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—रेस्पो

—

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरकरण
24 दिनांक 26.05.1993 तहसीलदार चिडावा जरिये अनुबन्ध पत्र संख्या 242

—

उपस्थितः–

1. श्री रामसिंह छापूनियां, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री बंशीधर नारनोलिया, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित

आदेश

दिनांक 13.0

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिडावा के आदेश दिनांक 26.0 नामान्तरकरण सं0 24 वाके ग्राम विजयपुरा के विरुद्ध की गई है। प्रार्थना पत्र मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय ... के आधार पर करने की प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी की ओर से अपील इस प्र कि ग्राम विजयपुरा की सरहद मे जमीन ... खसरा नम्बर 134 रकबा 3.9 वर्तमान खसरा नम्बर 134 व रकबा 1.95 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 209/134 रकबा ... है कुल खसरा नम्बर 2 रकबा 3.9 हैक्टेयर है। विवादित भूमि पहले राजस्व ग्राम कंवरपुरा के थी व बाद मे विजयपुरा राजस्व ग्राम घोषित होने पर ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का खुड तहत आ गई। ग्राम बख्तवरपुरा मे मनीराम पुत्र भुद्दा जाति मेघवाल था। उक्त मनीराम के श्रवन व बजरंग लाल हुए जिसमे श्रवन का देहान्त हो चुका है जिनके हरिसिंह व निरं जिनका संयुक्त हिन्दू परिवार रहा व विवादित जमीन इस संयुक्त परिवार की पैतृक थी। श्र जीवनकाल मे ही दोनो भाई हरिसिंह व निरंजन अलग–अलग हो गये थे। जमीन वर्णित अपीलार्थी एवं प्रत्येर्थीगण के पिता ने अपने सहूलीयत व कब्जे काश्त के आधार पर सन 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kulri
Date: 2023.02.14 16:11:25 IST
Reason: SelfAttested

विभाजन का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी चिडावा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमे 134/1 ि
श्रवन कुमार के हक मे व 134/2 हिस्सा बजरंग लाल के हक मे दर्ज किया गया जिसे रा
अधिकारियों की गलती के कारण एवं सुविधा के संतुलन को ध्यान मे न रखते हुए सम्पूर्ण
का गलत विभाजन कर दिया जिस कारण अपीलार्थी उक्त जमीन के लगते रास्ते खसरा
135 से वंचित हो गया जबकि अपीलार्थी एवं प्रत्येर्थीगण के पिता एवं प्रत्येर्थीगण अपनी ज
को समान रूप से रास्ते के अनुसार पहले श्रवन कुमार व उससे आगे अपीलार्थी प्राप्त क
चाहते थे तथा उसी अनुसार अपीलार्थी एवं प्रत्येर्थीगण वर्तमान मे उक्त जमीन को कब्जा क
कर रहे है। जिस कारण उक्त राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है
पक्षकारान् अपने कब्जे काश्त के आधार पर अपनी भूमि का खाता विभाजन एवं लगान तय
सके। अतः अपील अपीलान्ट्स की ओर से मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील
की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार चिडावा पटवार हल्का खुडाना, तहसील चि
जिला झुंझुनूं मे भूमि खसरा नम्बर 34 रकबा 1.95 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 209/134 रक
95 हैक्टेयर कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 3.09 हैक्टेयर के गत खसरा नम्बर 134 के अ
राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर पूर्वभाल स्थिति के अनुसार रिकार्ड यथावत रखे जाने का अ
फरमाया जावे ताकि अपीलार्थी अपने कब्जे काश्त के आधार पर अपनी भूमि का खाता विभ
सक्षम न्यायालय या राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर करवा सके।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अ
तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम विजयपुरा की सरहद मे जमीन ग
गत खसरा नम्बर 134 रकबा 3.9 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 134 व रकबा
हैक्टेयर व खसरा नम्बर 209/134 रकबा 1.95 हैक्टेयर कुल खसरा नम्बर 2 रकबा 3.9 हैक
है। विवादित भूमि पहले राजस्व ग्राम कंवरपुरा के तहत थी व बाद मे विजयपुरा राजस्व
घोषित होने पर ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का खुडाना के तहत आ गई। ग्राम बख्तवरपु
मनीराम पुत्र भुद्दा जाति मेघवाल था। उक्त मनीराम के लडके श्रवन व बजरंग लाल हुए जि
श्रवन का देहान्त हो चुका है जिनके हरिसिंह व निरंजन है जिनका संयुक्त हिन्दू परिवार र
विवादित जमीन इस संयुक्त परिवार की पैतृक थी। श्रवन ने जीवनकाल मे ही दोनो भाई हरि
व निरंजन अलग–अलग हो गये थे। जमीन वर्णित धारा 1 अपीलार्थी एवं प्रत्येर्थीगण के पित
अपने सहूलीयत व कब्जे काश्त के आधार पर सन् 1993 मे जरिये अनुबन्ध पत्र संख्या
दिनांक 26.05.1993 को गांव के समीप नूनियां गोठडा ग्राम मे अपनी सहूलियत के अन
विधिवत् बंटवारा एवं लगान का बंटवारा करने के लिए खाता विभाजन का प्रस्ताव उप
अधिकारी चिडावा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमे 134/1 हिस्सा श्रवन कुमार के हक
134/2 हिस्सा बजरंग लाल के हक मे [illegible] अधिकारियों की गलत
कारण एवं सुविधा के संतुलन को ध्यान मे न रखते [illegible] र्ण भूमि का गलत विभाजन
दिया जिस कारण अपीलार्थी उक्त ज[illegible] नम्बर 135 से वंचित हो
जबकि अपीलार्थी एवं प्रत्येर्थीगण के पि[illegible] को समान रूप से
के अनुसार पहले श्रवन कुमार व उससे [illegible] करना चाहते थे तथा उसी अन
अपीलार्थी एवं प्रत्येर्थीगण वर्तमान मे उक्त जमीन को कब्जा काश्त कर रहे है। जिस कारण
राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है ताकि पक्षकारान् अपने कब्जे काश्त
आधार पर अपनी भूमि का खाता विभाजन एवं लगान तय कर सके। अतः अपीलान्ट्स की अ
स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार चिडावा पटवार हल्का खुडाना, तहसील चिडावा जिला झ
मे भूमि खसरा नम्बर 34 रकबा 1.95 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 209/134 रकबा 1.95 हैक
कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 3.09 हैक्टेयर के गत खसरा नम्बर 134 के अनुसार रा
रिकार्ड को दुरूस्त कर पूर्वभाल स्थिति के अनुसार रिकार्ड यथावत रखे जाने का आदेश फर
जावे ताकि अपीलार्थी अपने कब्जे काश्त के आधार पर अपनी भूमि का खाता विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.14 16:11:25 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 व 3 ने वकील अपीलान्ट्स के कथन कोई विरोध नही किया तथा कथन किया कि अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाती उन्हे कोई ऐतराज नही है।

बहस के दौरान राजकीय वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 ने वकील अपीलान्ट्स के क का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स की सहमति से र कैम्प मे किये गये खाता विभाजन के आधार पर अदालत मातहत द्वारा बाद जांच नियमा नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। आदलत मातहत के आदेश मे कोई त्रुटि नही है। अ सहमति के आधार पर किये गये खाता विभाजन के कम मे अपीलान्ट यह अपील इस न्या मे पेश नही कर सकता है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा विजयपुरा के कम मे भरा गया नामान्तरकरण सं0 24 दिनांक 26.05.1993 राजस्व कैम्प मे अ सहमति ये किये गये खाता विभाजन के आधार पर बाद जांच नियमानुसार भरा गया है। अ सहमति के आधार पर किये गये खाता विभाजन के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण के अपीलान्ट की यह अपील पोषणीय नही है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज की जाकर अ मातहत का आदेश दिनांक 26.05.1993 यथावत् रखा जाता है। रिकार्ड मातहत मातहत प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद त जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कु
जिला कलक
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.14 15:11:25 IST
Reason: SelfAttested